ESTD : 1954

दिल्ली प्रिंटर्स एसोसिएशन

मासिक

समाचार पत्रिका

संपादक : एच. एल. खन्ना केवल सदस्यों के लिए निःशुल्क वितरण हेतु अंकः मार्च 2019, मुद्रणः 31 मार्च 2019

ऑल इंडिया फैडरेशन ऑफ मास्टर प्रिंटर्स की 244वीं

गवर्निंग कौंसिल मीटिंग ज़िरकपुर में संपन्न

FALCON VACUUM PUMPS

D LV 1000 C DV
For Komori Offset

D LV 1000 C DVVL
For Heidelberg Double Color

Manufactured, Sold & Serviced by :

FALCON VACUUM PUMPS & SYSTEMS

Office: 98, Ram Saroop Industrial Complex,
Mujessar, Faridabad - 121005, Haryana (INDIA)
Works: Plot No. 151, Sector-24,
Faridabad - 121 005, Haryana (INDIA)
Phone : +91-129-4022837, 4026023
E-mail : info@falconpumps.com
Website : www.falconpumps.com

ESTD : 1954

President
Mr. Rajesh Sardana
98100-31996

Imm. Former President
Mr. Rajiv Gupta
98117-01764

Vice-presidents
Mr. Ajay Sharma
8178429924

Mr. Meghraj Bhati
98103-52633

Mr. Prakash Dass
98187-24948

Hon. General Secretary
Mr. Mahinder Budhiraja
93122-41788

Joint-secretaries
Mr. Atul Goel
98100-03943

Mr. Puneet Talwar
98110-81291

Treasurer
Mr. Kewal Krishan Singhal
98111-15945

Executive Members
Mr. Ashok Aggarwal
Mr. Ashok Kumar Nandra
Mr. D. K. Vohra
Mr. Deepak Bhatia
Mr. M. N. Pandey
Mr. Mohd Mustaqeem
Mr. P. K. Chauhan
Mr. Prashant Aggarwal
Mr. Prabir Kumar Mukherjee
Mr. Raghu Nandan Sharma
Mr. Sandeep Aggarwal
Mr. Sanjay Sharma
Mr. Shiv Mittal
Mr. Simranjot Singh Bhatia
Mr. Sunil Jain
Mr. Vijay Goel
Mr. Vijay Jain
Mr. Vikas Gaur
Mr. Vivek Jain

Executive Secretary
H.L. Khanna
9958043222

Delhi Printers' Association
Flat No. 26A,
Shanker Market,
New Delhi-110001
Tel. : 011-23414415
Telefax : 011-23412574
Email : delhiprinter@hotmail.com
website : www.delhiprintersassociation.org

समाचार

देश का पैकेजिंग उद्योग चालू वित्त वर्ष में 72.6 अरब डॉलर पर पहुंचेगा : अध्ययन

नयी दिल्ली, (भाषा) देश का पैकेजिंग उद्योग चालू वित्त वर्ष 2019–20 में 72.6 अरब डॉलर पर पहुंच जाने का अनुमान है। उद्योग मंडल एसोचैम और ईवाई के संयुक्त अध्ययन में यह अनुमान लगाया गया है। इसमें कहा गया है कि आबादी बढ़ने और आय का स्तर बढ़ने से पैकेजिंग उद्योग तेजी से बढ़ेगा।

रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के पैकेजिंग उद्योग ने 2016–21 के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है और इसके चालू वित्त वर्ष में 72.6 अरब डॉलर पर पहुंचने का अनुमान है। वर्ष 2015 में यह उद्योग 31.7 अरब डॉलर था। रिपोर्ट में कहा गया है कि आबादी बढ़ने, आय का स्तर बढ़ने और जीवनशैली में बदलाव से इस उद्योग में तेजी आएगी। इसमें कहा गया है कि ई–कॉमर्स और संगठित खुदरा क्षेत्र में तेजी से प्लास्टिक पैकेजिंग उद्योग में तेजी आएगी। इससे आने वाले वर्षों में प्रति व्यक्ति खपत भी बढ़ेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि एफएमसीजी सामान खुदरा क्षेत्र का सबसे तेजी से बढ़ता खंड है और यह पैकेजिंग उद्योग का सबसे बड़ा अंतिम उपभोक्ता है। इसके अलावा फार्मास्युटिकल उद्योग भी पैकेजिंग उद्योग के सबसे प्रमुख उपभोक्ताओं में है।

मुद्रण क्षेत्र में दुनिया में तीसरे स्थान पर है भारत

समाचारपत्र, मैगजीन और किताबों के प्रकाशन के मामले में भारत दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल है। भारत में इस कार्य के लिए मैन पावर भी उपलब्ध है। भारत में दुनिया के कई अन्य देशों के मुकाबले प्रिंटिंग का काम काफी सस्ता है। इसलिए विदेशी कंपनियां भारत में इस क्षेत्र में निरंतर निवेश कर रही हैं। केयू प्रिंटिंग प्रेस के मैनेजर एमके मौदगिल ने कहा कि मुद्रण का क्षेत्र संभावनाओं से भरा है। इस क्षेत्र में आने वाले विद्यार्थी प्रिंटिंग, ग्राफिक्स, पैकेजिंग, पब्लिशिंग और डिजिटल प्रिंटिंग सहित कई क्षेत्रों में अपना भविष्य बना सकते हैं। हार्परकोलिनस पब्लिशर्स इंडिया के जीएम अमित शर्मा ने कहा कि टेक्नोलॉजी ने प्रिंटिंग उद्योग को पूरी तरह से बदल दिया है। इसे ऐसे मानव संसाधन की जरूरत है जो तकनीकी रूप से कुशल हो। वे केयू के जनसंचार और मीडिया प्रौद्योगिकी संस्थान की ओर से प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग बिजनेस मैनेजमेंट विषय पर फैकल्टी लांज में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के उदघाटन पर बोल रहे थे।

डॉ बराल अमेरिका में सम्मानित

विगत 19 मार्च को एआईएफएमपी के विशेष सहयोगी डॉ. अंजन कुमार बराल को प्रिंटिंग इंडस्ट्री ऑफ अमेरिका द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए वर्ष 2018 हेतु सम्मानित किया गया है। उल्लेखनीय है कि डॉ. बराल गुरू जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार (हरियाणा) में प्रोफेसर हैं।

वर्ष 2018–2019 के वार्षिक शुल्क के लिए सदस्यों से अनुरोध

जिन सदस्यों ने अपना वर्ष 2018–2019 का वार्षिक शुल्क अभी तक नहीं भेजा है उन्हें याद दिलाया जा रहा है कि अपना शुल्क स्वयं/कोरियर/डाक द्वारा शीघ्रअतिशीघ्र भेजने की कृपा करें। कुछ सदस्य ऐसे भी हैं जिनका वार्षिक शुल्क 2017–2018 का भी नहीं आया है, उन्हें फिर याद दिलाया जाता है कि लगातार दो वर्ष तक वार्षिक शुल्क न आने पर एसोसिएशन की सदस्यता स्वयं समाप्त हो जाती है।

यदि आप वार्षिक चंदा बैंक में सीधे जमा करना चाहते हैं तो संस्था के निम्नलिखित दो बैंक खातों में से किसी में भी जमा करवा सकते हैं तथा जमा करने के बाद संस्था को सूचित कर दें। बैंक का विवरण इस प्रकार है।

Delhi Printers' Association
Saving A/c No. 90042010031370
IFSC Code-SYNB0009004
Bank Name - Syndicate Bank

Delhi Printers' Association
OD A/C No. 0022414008455
IFSC Code-HDFC0CTJCBL
Bank Name-The Janata
Co-Operative Bank Ltd.

Printing, Processing and Binding Sponsored by

Kaveri Print Process Pvt. Ltd.

114, F.I.E PATPAR GANJ INDUSTRIAL AREA, DELHI-110 092
9810003943 (ATUL GOEL) 9811083939 (ANUJ GOEL)
PHONE: 22142030, 22142031
E-mail: kaveriprinters@gmail.com; kaveri_printers@yahoo.com

अध्यक्ष की कलम से

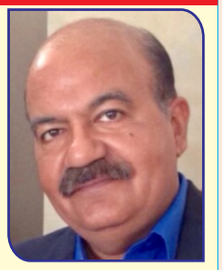

मुद्रक बन्धुओं की सबसे बड़ी संस्था दिल्ली प्रिन्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर वार्षिक 2018-2019 की अवधि के समापन पर आप सबसे अंतिम बार मुखातिब होते हुए मैं इस अवसर पर आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस वांछित उच्च पद के काबिल समझा तथा दिल्ली के मुद्रण व्यवसाय की विभिन्न समस्याओं के समाधान निकालने तथा अन्य प्रकार की सेवायें करने का सुअवसर दिया। इस पद से निवृत होने के पश्चात् भी मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा कि जब-जब इस संस्था व सदस्यों को मेरी सेवाओं की आवश्यकता होगी, मैं सदैव तत्पर रहूँ।

समय-समय पर आर्थिक उतार-चढ़ाव आते रहने के कारण व्यवसायियों का प्रयास रहता है कि कम से कम व्यय करके अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके। सभी जानते हैं कि पैसे की बचत करने का अर्थ पैसा कमाना है। इस प्रकार की बचत कर पाने के लिए सबसे पहले हमें अपने यूनिट में उन क्षेंत्रों को पहचानना होगा जहाँ हो रही फिजूल-खर्ची तथा विभिन्न प्रकार की क्षति से होने वाली हानियाँ हो रही हों। इस प्रकार के क्षेत्र 'प्री-प्रैस', 'प्रैस' तथा 'पोस्ट प्रैस' तीनों विधियों में ढूँढकर अलग करके फिर उन पर ध्यानपूर्वक विचार करके उन हानियों से निजात पाने के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए। सबसे पहले तो हमें अपने यूनिट से जंक अथवा कबाड़ को बेच कर बेवजह घिरे स्थान को खाली करके उसका सदुपयोग करना चाहिए तथा यूनिट के प्रत्येक भाग में स्वच्छता रखकर माहौल खुशनुमा बनाना चाहिए।

किसी भी प्रकार की खरीद का आर्डर देने से पूर्व हमें अपने स्टॉक को जाँचकर भविश्य में होने वाली आवश्यकता को ध्यान में रख लेना चाहिए। स्टॉक में रखे हुए माल की विवरण सहित सूची बनाकर उसे लगातार अपडेट करते रहना चाहिए ताकि अचानक ज़रुरत पड़ने पर वह माल निकालकर प्रयोग में लिया जा सके। साथ ही नए खरीदे गये माल को स्टॉक में सावधानी से सहेजकर रखना चाहिए ताकि उसे किसी प्रकार की क्षति न पहुँचे। इस प्रकार के माल में पेपर सर्वप्रथम आता है जो सबसे महँगा माल होता है। स्याही, कैमिकल आदि की स्टाफ द्वारा चोरी न हो सके इसके लिए सी.सी.टी.वी. कैमरें लगाने चाहिए।

इन आवश्यक कदमों को उठाने के साथ सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपनी मशीनों की सुचारू रूप से सफ़ाई तथा सर्विसिंग कराते रहें ताकि मरम्मत तथा टूटे पार्ट को बदलने पर होने वाले खर्च से बचा जा सके। पहले से चल रही तथा नवीनतम् तकनीक की मशीनों को चलाने के लिए पढ़े-लिखे एवं ट्रेन्ड कारीगरों की ही भरती करनी चाहिए ताकि इन महंगी मशीनों पर उत्तम से उत्तम छपाई की जा सके तथा वेस्टेज पर होने वाले खर्च से बचा जा सके। अन्त में हमें उच्चतम क्वालिटी की छपाई करते हुए अपनी छपाई की दरों में समझौता नहीं करना चाहिए ताकि नाम के साथ उचित लाभ भी कमाया जा सके। धन्यवाद।

-राजेश सरदाना, अध्यक्ष

महासचिव की कलम से

जिस प्रकार हम अपने व्यक्तिगतः एवं सामाजिक जीवन में नीतियों तथा सिद्धान्तों का पालन करते हैं उसी प्रकार अपने मुद्रण व्यवसाय में भी हमें विभिन्न प्रशासनिक नियमों के साथ व्यापारिक नियमों का पालन उचित रूप से करना चाहिए। घर हो या कार्यशाला, किसी भी प्रकार की स्ट्रेस अथवा चिन्ता करना हानिकारक है।

'टाइम मैनेजमैन्ट' का सही न होना स्ट्रेस के प्रमुख कारणों में से एक है। जब दिन का आरम्भ हम समय को महत्व देते हुए करते हैं तो सभी काम आराम से कर पाते हैं। बेहतर प्लानिंग से स्ट्रेस होने के अवसर कम रहते हैं। मुद्रण व्यवसाय में डेडलाइन का प्रचलन बहुत आवश्यक होता है। डेडलाइन के अनुसार न चल पाने के कारण हम दबाव में आ जाते हैं। ऐसे में ग़लती होने की सम्भावना बढ़ जाती है। ग़लती हो जाने पर न केवल समय व्यर्थ होता है अपितु आर्थिक हानि होती है तथा चिन्ताग्रस्त होने के कारण स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है जो सेहत तथा व्यापार में नुकसानदेह रहता है। अतः जहां तक हो सके स्ट्रेस से बचें।

हमारा प्रयास रहना चाहिए कि अपने व्यवसाय में यथासम्भव पारदर्शिता तथा ईमानदारी बरती जाए ताकि न केवल सरकारी जाँच-पड़ताल की चिन्ता रहे और न ही छपाई कराने वाले ग्राहकों के साथ किसी प्रकार के विवाद होने का भय रहे। परेशानियाँ आती हैं तो शीघ्र वे दूर भी हो जाती हैं क्योंकि इस प्रकार की चिन्ताओं की 'एक्सपायरी डेट' भी होती है। अतः बीती बातों की चिन्ताओं को भूल आगे बढ़ जाना चाहिए। इसी प्रकार किसी व्यक्ति द्वारा जाने-अनजाने आपका दिल दुखाया गया हो तो उस व्यक्ति को माफ़ कर सब चीज़ भुला देनी चाहिए। अपने जीवन व व्यवसाय में यदि हमने कोई उद्देश्य या लक्ष्य प्राप्त कर लिया हो तो तात्कालिक जश्न मनाने के तुरन्त पश्चात् अपने अगले लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। जिस प्रकार दिन के प्रकाश के बाद रात का अन्धेरा छाता है उसी प्रकार हमारे जीवन एवं व्यवसाय में सफलता और असफलता का उतार-चढ़ाव होता रहता है। किन्तु यह याद रखते हुए कि शीघ्र ही अन्धेरा छँट कर फिर से प्रकाश फैल जाएगा, हमें सदैव आशावान् होकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। सफलता सदा आपके कदम चूमे, इसी आशा के साथ -

-महिन्द्र बुद्धिराजा, महासचिव

Easeprint Solutions.com
Inspiring you for better Tomorrow

9818892321, 9818891112
info@easeprintsolutions.com
www.easeprintsolutions.com

OFFSET PRINTING ESTIMATION SOFTWARE
A Product developed by a PRINT PROFESSIONAL with Experience over THREE DECADES
●Estimation of Commercial & Packaging Printing ●Production ●Accounts ●Stock Inventory ●M.I.S.
A Complete ERP for Commercial & Packaging Printing

दिन में काम के दौरान नींद आए, तो कितनी देर लें झपकी?

यूं तो हर व्यक्ति का खाने पीने से लेकर सोने और आराम करने का समय अलग होता है। बावजूद इसके अधिकतर लोग लंच के बाद ऑफिस में नींद आने की शिकायत करते हैं। लोगों को लगता है कि नींद की वजह से उनका काम प्रभावित होता है। अगर आप भी ऐसे ही लोगों में शामिल हैं जो इस बात की शिकायत दोस्तों से करते हैं तो नासा के पास आपकी परेशानी का हल मौजूद है।

पूरे दिन में एक समय ऐसा होता है जब हर व्यक्ति बेहद थका हुआ महसूस करता है। ऐसे में खुद को एक बार फिर फ्रेश फील करने के लिए या तो वो झपकी लेता है या फिर चाय या कॉफी का सहारा। आप खुद को 24 घंटे ऊर्जावान नहीं रख सकते हैं और जब आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं तो क्यों न एक झपकी ही ले ली जाए। लेकिन नींद भगाकर आपको तरोताजा करने वाली ये झपकी कितनी देर की होनी चाहिए, 10 मिनट, 20 मिनट या फिर एक घंटा...? नासा ने आपके इस सवाल का जवाब ढूंढ निकाला है।

लगातार 7 से 8 घंटे काम करने के बाद कुछ देर के लिए ली गई एक पॉवर नैप आपको दोबारा घंटों के लिए रिचार्ज कर देती है और आप बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। इंसान पूरे दिन में दो बार ऐसा महसूस करता है कि उसे नींद आ रही है। यह मानव शरीर का एक स्वभाव है, आप चाहे भी तो इसे रोक नहीं सकते हैं। ऐसे में नासा के वैज्ञानिकों ने एक शोध में बताया है कि दिन में ली गई एक झपकी वास्तव में पूरी रात की नींद के बराबर आपको एनर्जी देती है।

अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार 26 मिनट तक कॉकपिट में सोने वाला पायलट बाकी पायलटों की तुलना में 54 प्रतिशत सतर्क और नौकरी के प्रदर्शन में 34 प्रतिशत ज्यादा बेहतर देखा गया। हालांकि 26 मिनट थोड़ा लंबा समय हो सकता है।

नासा में नींद के विशेषज्ञों ने नैप के प्रभावों पर शोध करते हुए पाया कि नैप लेने से व्यक्ति के मूड, सतर्कता और प्रदर्शन में काफी सुधार होता है। ब्रॉक विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान और तंत्रिका विज्ञान के प्रोफेसर रहे किम्बर्ली कोटे के अनुसार लंबे समय तक झपकी आपको गहरी नींद में डाल सकती है इसलिए नासा ने सुझाव दिया कि 10 से 20 मिनट के बीच पावर नैप लें।

नासा के इस सुझाव में बताया गया कि दस मिनट की झपकी आपको पूरी रात की नींद जैसा फ्रेश महसूस करवा सकती है। आप 10 से 20 मिनट के बीच लिए गए पावर नैप से बिना सोए रात भर की नींद जैसा फायदा उठा सकते हैं। खास बात यह है कि 10 मिनट की झपकी लेने से मांसपेशियों के बनने से लेकर याद्दाश्त तक मजबूत होने में सहायता मिलती है।

आपको भी आते हैं डरावने सपने?

हम में से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें चैन की नींद नहीं आती, और जब नींद आती है तो डरावने सपने आने लगते हैं, जिससे घबराहट के साथ उनकी नींद खुल जाती है। कई बार इसके पीछे कोई विशेष कारण जिम्मेदार होता है, लेकिन कभी बिना कारण के भी आपकी नींद इस तरह से हराम हो जाती है।

क्या आप जानते हैं कि इस तरह के सपने क्यों आते हैं? कहीं इसका कारण आपका तनाव या डिप्रेशन तो नहीं? जी हां, एक अध्ययन के मुताबिक इस तरह के सपने आने का मतलब है कि डिप्रेशन आप पर हावी हो रहा है और आप अच्छी तरह से सो नहीं पा रहे हैं।

फिनलैंड विश्वविद्यालय और फिनिश नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के शोधकर्ताओं ने एक साथ मिलकर 2007 और 2012 में किए गए दो क्रॉस सेक्शनल सर्वे को विश्लेषित किया और उसके आधार पर यह परिणाम निकाले। इस सर्वे में भाग लेने वाले व्यक्तियों की उम्र 25 साल से लेकर 74 साल की थी।

शोधकर्ताओं ने पाया कि 3.9 प्रतिशत लोगों को पिछले 30 दिनों में लगभग हर दिन बुरे सपने दिखाई दिए हैं। इनमें 4.8 प्रतिशत महिलाएं व 2.9 प्रतिशत पुरुष शामिल थे। इसमें पाया गया कि 28.1 प्रतिशत लोगों को अवसाद (डिप्रेशन) व 17.1 के प्रतिशत लोगों को कम सोने की वजह से ये सपने आते हैं।

शोधकर्ताओं ने पाया कि इस प्रकार के सपने अनिद्रा, थकान, डिप्रेशन के लक्षण और स्वयं के प्रति नकारात्मक रवैया रखने के कारण आते हैं। अगर आप इस तरह के सपनों से बचना चाहते हैं और चैन की नींद सोना चाहते हैं, तो आपको तनाव और डिप्रेशन से बाहर निकलने की जरुरत है।

New Website of Delhi Printers' Association

DPA has launched its revamped website recently. Please explore the updated website.
We would be grateful for any feedback about further improvement.
Explore at: www.delhiprintersassociation.org

DDM GRAPHIC

www.ddmgraphic.in

EUROPE'S BEST USED

OFFSET & BINDING MACHINES

HEIDELBERG · MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. · RYOBI · KBA · KOMORI

294, Patpar Ganj Indl. Area, Delhi-92. Mobile: 9871155294, 9311611152

+91-11-43054852, **Email:** d.d.m.graphic@gmail.com

ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मास्टर प्रिंटर्स की 244वीं

गवर्निंग कौंसिल मीटिंग की झलकियां

23-24 मार्च को जिरकपुर, चंडीगढ़ में ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मास्टर प्रिंटर्स की 244वीं गवर्निंग कौंसिल की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में फेडरेशन के पदाधिकारियों के सहित देश भर से जीसी सदस्यों और पूर्व पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। यह बैठक शहीद भगत सिंह के शहीदी दिवस का पुनीत स्मरण करते हुए आरंभ हुई। पदाधिकारियों ने भगत सिंह की पोशाक पहनकर उनकी शहादत को नमन किया। फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष एवं पंजाब केसरी के चेयरमैन श्री विजय कुमार चोपड़ा का विशेष रूप से सम्मान किया गया। पदाधिकारियों और अन्य गणमान्य मेहमानों को शहीद भगत सिंह के चित्र जड़े हुए स्मृति चिन्ह भेंट किए गए।

ANNUAL GENERAL MEETING

OF DELHI PRINTERS' ASSOCIATION

on Saturday, 27th April, 2019
at 5.30 pm
at Malaviya Smriti Bhawan,
Plot No.52-53, Deen Dayal Upadhyay Marg,
New Delhi-110 002

SHIVA TEXYARN LTD

ECO-FRIENDLY
REPLACEMENT OF PVC FLEX

Introducing India's 100% Cotton and 100% Polyester
Out of Home Advertising Banner Fabric
Compatible with UV, Latex, Solvent & Eco-Solvent

For Distributorship Contact: - Mobile: 7011926328,
Phone: 011-41718232, Email: Delhioffice@shivatex.in

ECO FRIENDLY

अब करंसी की तरह ही चुनावी बांड के मुद्रण में बरती जाएगी गोपनीयता

नई दिल्ली। चुनावी चंदे में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार चुनावी बांड जारी करने की तैयारी में है और इस संबंध में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए पूरी तरह से गोपनीयता बरतने के पक्ष में है। बांड के मुद्रण में उतनी की गोपनीयता बरती जाएगी जितनी की मुद्रा छपाई के मामले में अपनाई जाती है। वित्त मंत्रालय के सूत्र ने कहा कि बांड की वैधता (मियाद) केवल 15 दिन होगी। कोई नया राजनीतिक दल इसका इस्तेमाल धनशोधन गतिविधियों में न कर सके, इसलिए इसे नए राजनीतिक संगठनों को प्रदान नहीं किया जाना सुनिश्चित किया गया है। इसके अतिरिक्त, बांड की बिक्री देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से की जाएगी। इनमें से अधिकतर शाखाएं राज्य की राजधानियों और प्रमुख शहरों में है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चुनावी बांड की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा था कि इस व्यवस्था के आरंभ होने से देश में राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की पूरी प्रक्रिया में काफी हद तक पारदर्शिता आएगी। जबकि देनदाता की पहचान गुप्त रहेगी और इनका भुगतान केवल राजनीतिक दलों के अधिकृत बैंक खाते के माध्यम से हो सकेगा।

सूत्र ने कहा, बांड को अत्यंत

गोपानीयता के साथ मुद्रित किया जाएगा। इससे जुड़ी जानकारियां उतनी ही गोपनीय रहेंगी जितनी मुद्रा की छपाई के समय रखी जाती हैं। उन्होंने कहा कि यह बांड एसबीआई की 8–10 शाखाओं में सबसे अधिक उपलब्ध होगा, जिनमें राज्यों की राजधानी की शाखाएं शामिल हैं।

सूत्र ने आगे कहा कि बांड देने वाले की गोपनीयता बरकार रहने से विपक्षी दलों को फायदा मिलेगा, क्योंकि इससे दाता पहचान सामने आने के बारे में चिंता किए बिना चंदा दे पाएंगे। अगर चंदा देने वाले का नाम गोपनीय नहीं रखा जाता तो यह नकद दान को बढ़ावा देता जो व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के विचार के विपरीत होता।

ये चुनावी बांड उन्हीं पंजीकृत राजनीतिक दलों को दिए जा सकेंगे जिनको पिछले चुनाव में कम से कम एक प्रतिशत वोट मिला हो। दलों को चुनाव आयोग को एक बैंक खाते की जानकारी देनी होगी और इन बांडों को उसी खाते में 15 दिन के भीतर भुनाया जा सकेगा। सूत्रों ने कहा कि नियमों के मुताबिक, नए राजनीतिक दल इन बांडों को नहीं भुना पाएंगे।

जन्मदिन और वैवाहिक वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं

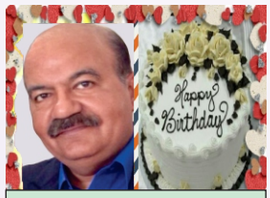

Mr. Rajesh Sardana, President of DPA and owner of Cambridge Press, on March 3, 2019

Wedding anniversary of Mr. Meghraj Bhati, Vice-President of DPA and owner of Choudhary Offset Process, on March 7, 2019.

RAVE ROLLERS

RAVE RUBBER ROLLERS

WE ARE LEADING RUBBER ROLLER SUPPLIER

- Printing Rubber Rollers
- Plastic Riders
- Ebonite Rollers
- Copper Rollers
- Hard Chrome Rollers
- Alcohol Damping Rollers
- U.V Ink Rollers
- Combi Rollers
- Polyurethene Rollers
- Hypolone Rubber Rollers for thermo Lamination

B-71/3, Mayapuri Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110 064
Contact : Mr. Devender Kumar M : 09810053777, 9811287297
Email : raverubberrollers@yahoo.com • www.raverubberrollers.com

प्रिंटिंग उद्योग में रोज़गार के अवसर

प्रिंट कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन का एक मजबूत माध्यम है। वर्तमान में यह क्षेत्र बहुत तेजी से बढ़ रहा है। प्रिंटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां टेक्निकल स्किल्स काफी महत्व रखती हैं। टाइपसेटिंग से लेकर डिजाइनिंग, पेस्टिंग, प्लेट मेंकिंग, कैमरा वर्क और प्रिंटिंग में प्रफेशनल्स की डिमांड है। एक रिसर्च के अनुसार, भारतीय प्रिंटिंग इंडस्ट्री 12 प्रतिशत सालाना की दर से बढ़ रही है। देश में लघु, मध्यम और बड़े स्तर के तकरीबन 250,000 प्रिंटर्स मौजूद हैं जिनका सालाना टर्नओवर पचास हजार करोड़ रुपए से भी अधिक है। ये आंकड़े इस इंडस्ट्री में अच्छी संभावनाओं की ओर इशारा कर रहे हैं। तो अगर आप अपने लिए करियर की तलाश में हैं तो प्रिंटिग इंडस्ट्री में जाने का मन बना सकते हैं। इसके कोर्स और भविष्य की संभावनाओं के बारे में बता रही हैं सैयद सना।

प्रिंटिंग इंडस्ट्री देश के तेजी से बढ़ रहे क्षेत्रों में से एक है। यहां प्रशिक्षित प्रिंटिंग प्रोफेशनल्स की बड़े पैमाने पर मांग की जा रही है और युवा भी इस क्षेत्र में उपलब्ध संभावनाओं को देखकर इसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में बीई, बीटेक, डिग्री और डिप्लोमा कोर्स उपलब्ध हैं। अन्ना विश्वविद्यालय, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में बीई/बीटेक कोर्स ऑफर करता है। डिग्री कोर्स उपलब्ध करवाने वाले संस्थान हैं–मनीपाल इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नॉलजी, कर्नाटक, बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बेंगलुरू। डिप्लोमा इन प्रिंटिंग टेक्नॉलजी कोर्स शिवाकाशी इंस्टीटयूट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नॉलजी, शिवाकाशी और सदर्न रीजनल इंस्टीटयूट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नॉलजी, चेन्नै।

इन कोर्सेज के लिए कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है। प्रिंटिंग का काम अनेक सेक्टरों तक फैल चुका है। प्रेस के अलावा कई ऐसे बड़े प्रिंटिंग हाउस हैं, जहां सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग, ब्रोशर प्रिंटिंग और पोस्ट कार्ड प्रिंटिंग का काम होता है। प्रिंटिंग टेक्नॉलजी के प्रशिक्षित लोगों को प्रिंटर मैन्युफैक्चरिंग हाउस और उपभोक्ता उत्पाद बनाने वाली कंपनियों में नौकरी मिल सकती है। इंक, टोनर और प्रिंटिंग कार्टेज कुछ ऐसे उत्पाद हैं, जो प्रिंटिंग की विभिन्न प्रक्रियाओं में प्रयोग होते हैं। इनकी उत्पादक कंपनियों में भी करियर के बढ़िया मौके हो सकते हैं। भारत में सभी मुख्य मीडिया हाउस अपने यहां प्रिंटिंग टेक्नॉलजी ग्रैजुएट्स को नौकरियां उपलब्ध करवाते हैं। प्रिंटर मैन्युफैक्चरिंग एक अन्य क्षेत्र है, जो प्रिंटिंग डिग्री धारकों को रोजगार उपलब्ध करवा रहा है।

यह है प्रिंटिंग टेक्नॉलजी

साधारण भाषा में प्रिंटिंग को समझें तो शब्दों व ग्राफिक्स का समन्वय करके कागज, बोर्ड या धातु पर स्याही के जरिए उसे अंतिम रूप दिया जाता है। प्रिंटिंग की तकनीक की बात की जाए तो शुरुआती रूप से फिल्म मेकिंग, प्लेट मेकिंग, मशीन प्रिंटिंग आते हैं। उसके बाद फिल्म से प्लेट बनाकर प्रेस में प्रिंटिंग के लिए भेजी जाती है। आधुनिक तकनीक के आ जाने से अब सीधे कंप्यूटर से प्लेट बन जाती है। कंप्यूटर से सीधे प्लेट बनने की प्रिंटिंग तकनीक सीटीपी के नाम से जानी जाती है। प्रिंटिंग की तकनीक सीखने के कोर्स को करना आवश्यक है। प्रिंटिंग टेक्नॉलजी के पाठ्यक्रमों में प्रिंटिंग प्रॉसेस, टाइपोग्राफिक डिजाइन, ग्राफिक रिप्रॉडक्शन, लैटर प्रेस, लिथोग्राफी, लैटर असेंबली, बुक बाइंडिग, प्रॉसेसिंग, कैमरा ऑपरेशन, फोटो इंग्रेविंग, प्रिंटर्स मशीनरी मकेनिज्म एंड मेंटेनेंस, लिथो ऑफसेट प्रिंटिंग तकनीक की विस्तार से जानकारी दी जाती है।

सर्टिफिकेट कोर्सों में प्लेट तैयार करना, ऑफसेट मशीन प्रिंटिंग, मिनी ऑफसेट प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग और डेस्क टॉप प्रकाशन की जानकारी दी जाती है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, जबलपुर में डिप्लोमा इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम है। इस पाठ्यक्रम हेतु 30 सीटें निर्धारित हैं। इस पाठ्यक्रम में पीपीटी परीक्षा के माध्यम से प्रवेश दिया जाता है। कुछ बड़े प्रिंटिंग प्रेस अपने यहां प्रशिक्षणार्थियों की नियुक्ति करके प्रिंटिंग टेक्नॉलजी का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी देते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट सर्टिफिकेट कोर्स ऑफर करता है। प्लेट मेकिंग, ऑफसेट मशीन ऑपरेशन, स्क्रीन प्रिंटिंग, कैमरा ऑपरेशन, डेस्क टॉप पब्लिशिंग, और बुक बाइंडिंग में ऐसे ही सर्टिफिकेट कोर्स होता है। इन कोर्सेस को इस तरह डिजाइन किया जाता है ताकि कैंडिडेट्स प्रैक्टिकल और थ्योरिटिकल दोनों पक्षों से शुरुआती लेवल पर ही जॉब पा सकें। इन कोर्सेस में कैंडिडेट्स को प्रिंटिंग मटेरियल, प्रिंटिंग प्रॉसेस, प्री प्रेस टेक्नॉलजीज, बाइंडिंग व फिनिशिंग टेक्नीक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, आंत्रप्रेन्योरशिप डिवेलपमेंट, कॉस्ट एस्टिमेशन की जानकारी दी जाती है। बैचलर और मास्टर प्रोग्राम मल्टी डिसिप्लनरी नेचर के होते हैं। इसमें मकैनिकल, इंफर्मेशन टेक्नॉलजी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, केमिकल, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट, ऑर्गनाइजेशन बिहेवियर, प्रॉजेक्ट मैनेजमेंट, टेक्नॉलजी मैनेजमेंट, सिक्यॉरिटी प्रिंटिंग को भी पढ़ाया जाता है।

क्या जॉब मिल सकती है

प्रिंटिंग में दक्षता हासिल कर एडवरटाइजिंग, अखबार, मैगजीन, सरकारी प्रेस, प्रिंटिंग मशीनरी, पैकेजिंग इंडस्ट्री, पुस्तक प्रकाशन, प्राइवेट कमर्शियल प्रेस, बैंक और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में करियर बनाया जा सकता है।

ARE PAPER SOURCING WOES WEIGHING YOU DOWN?

NEED BULK SUPPLY ON SHORT NOTICE?

HI'S & LOW'S AFFECTING PRODUCTIVITY?

NOT SATISFIED WITH QUALITY?

TIRED OF DELAYS?

FEELING CHEATED / BULLIED ON COST?

Regd.office :- Plot No.906-912,1st Floor Maharaja Agarsen Market, Chota Chhipiwara, Chawri Bazar, Delhi-110006
Noida Office :- C-18, 3rd Floor Sec-2, Noida-201301
Contact No. :- +91 120 4277662, +91 9870108009

VRINDA PAPERS PVT. LTD.
Complete Paper Solutions

चुनाव के दौरान प्रिंटर्स बंधुओं को चुनाव आयोग की एडवाइजरी जारी

पूर्व की भांति लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही आचार संहिता लागू हो गई है। साथ ही चुनाव संबंधी प्रचार सामग्री की प्रिंटिंग संबंधी एडवाइजरी अखबारों के माध्यम से जारी की गई हैं इस एडवाइजरी का पालन करना प्रत्येक प्रिंटर के लिए बाध्यकारी है। उल्लेखनीय है कि चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी को चुनाव प्रचार के खर्च का ब्यौरा चुनाव आयोग में जमा कराना आवश्यक है। चुनाव संबंधी प्रिटिंग सामग्री का खर्च भी इसमें जोड़ा जाता है। अत: इसका ब्यौरा प्रिटिंग सामग्री के नमूने के साथ जिला चुनाव कार्यालय में प्रिंटर्स को तीन दिन के भीतर जमा कराना होता है। सदस्यों के लिए संबंधित विज्ञापन को पुन: मुद्रित किया गया है।

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली

ओल्ड सेंट स्टीफेंस कॉलेज बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006

हेल्पलाइन सं. 1800-111-400/1950: वेबसाइट: www.ceodelhi.gov.in

सार्वजनिक सूचना

उम्मीदवारों/राजनीतिक दलों/प्रिंटिंग प्रेस आदि द्वारा पैम्पलेट, पोस्टर की छपाई पर पाबंदी

एतद्वारा सभी सम्बद्ध पक्षों को सूचित किया जाता है कि चुनावी पैम्पलेट, पोस्टर इत्यादि की छपाई तथा प्रकाशन जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127A के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होते हैं। उपरोक्त प्रावधान के अनुसार कोई व्यक्ति किसी तरह के चुनावी पैम्पलेट या पोस्टर की छपाई या प्रकाश नहीं कर सकता या छपाई या प्रकाशित नहीं करवा सकता है।:-

(1)जिसमें सामने की ओर प्रिंटर एवं प्रकाशनकर्ता का नाम और पता नहीं दिया गया हो

(2) प्रकाशनकर्ता की पहचान के तौर पर घोषणा पत्र, जिसमें उनका हस्ताक्षर हो एवं दो व्यक्तियों द्वारा अभिप्रमाणित हो, जिसे वो निजी तौर पर जानता है, की प्रतिलिपि उसने प्रिंटर को न दी हो

(3) उपयुक्त अवधि यथा दस्तावेज की छपाई के तीन दिनों के अंदर, प्रिंटर द्वारा घोषणापत्र की एक प्रति, दस्तावेज की एक प्रति मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली, दिल्ली या जिला मजिस्ट्रेट के पास, जैसा भी मामला हो, न भेजा गया हो।

इस उद्देश्य के लिए हाथ द्वारा प्रति बनाने को छोड़कर, किसी दस्तावेज की कई प्रतियां बनाने की प्रक्रिया छपाई समझी जाएगी और तदनुसार प्रिटर के समतुल्य समझा जाएगा। चुनावी पैम्पलेट या पोस्टर का मतलब, कोई छपी हुई पैम्पलेट, हैड बिल या अन्य दस्तावेज है, जिसका उम्मीदवार या उम्मीदवारों के समूह के प्रचार या चयन में पक्षपात के उद्देश्य से वितरण किया गया हो अथवा कोई प्लाकार्ड या पोस्टर, जिसमें किसी चुनाव का संदर्भ हो है।

किसी व्यक्ति द्वारा उपरोक्त प्रावधानों में से किसी का उल्लंघन करना दण्डनीय है, जिसमें अधिकतम छह महीने की कैद के साथ अधिकतम दो हजार रुपये तक जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, की धारा 77 (1) के अनुसार संदर्भ भी आमंत्रित है, जिसके अनुसार किसी उम्मीदवार के चुनाव से संबंधित विज्ञापन में शामिल खर्च को उम्मीदवार के चुनावी खर्च के खाते में जोड़ा जाएगा, का उस धारा के तहत निर्वाह करना आवश्यक है।

आगे IPC की धारा 171H खर्च के उत्तरदायित्व के साथ-साथ, उम्मीदवार के प्राधिकार के बगैर, उम्मीदवार के चयन हेतु प्रचार या उपार्जन के उद्देश्य से विज्ञापन, सर्कुलर या प्रकाशन को निषेध करता है। ऐसे में, चुनावी समय के दौरान प्रिंट मीडिया में किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष या विरोध में किसी तरह के विज्ञापन/चुनावी विषयवस्तु के मामले में, प्रकाशनकर्ता का नाम एवं पता विषयवस्तु/विज्ञापन के साथ दिया जाना चाहिए।

यह सभी सम्बद्ध पक्षों खासकर राजनीतिक दलों/उम्मीदवारों/प्रिंटिंग प्रेस के दिशानिर्देश तथा जन साधारण को उम्मीदवारों एवं राजनीतिक दलों द्वारा पोस्टर, पैम्पलेट आदि की छपाई से संबंधित कानून के कड़े प्रावधानों के प्रति जागरुक करने के लिए जारी किया जा रहा है।

सतनाम सिंह

विशेष मुख्य निर्वाचन अधिकारी

DIP/Shabdarth/3109/18-19

Create Excellence

PRINTO™

PRESS ROOM CHEMICALS

FOUNTAIN SOLUTIONS
PLATE CLEANER
ALCOHOLS
WASHES
PLATE GUM
& ALLIED CHEMICALS

100% Quality Product

ANIKA CARDS 'n' CRAFTS PRIVATE LIMITED, 3d-66, Opp. Vardaan Hospital, Durga Mandir Lane, Faridabad - 121001 - India
Phone: +91 129 4055304 • Mobile: 91 9312686948 • Mail: printochem@gmail.com • Web: www.printochem.Com